UPGK010053462026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०–02 /विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–2357/2026

आलोक कुमार सिहं उर्फ विपिन सिंह पुत्र अमरेन्द्र सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी सुकई परसिया, थाना सुरौली, जनपद–देवरिया।

––––आवेदक/अभियुक्त

––बनाम––

उत्तर प्रदेश सरकार– –––––विपक्षी

मु०अ०सं०–96/2026,
धारा–2(b)(i),2(b)(xi) व 3(1) उ०प्र०
गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986,
थाना–कोतवाली, गोरखपुर।

दिनांक–08.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त आलोक कुमार सिहं उर्फ विपिन सिंह की ओर से मु०अ०सं०–96/2026, धारा–2(b)(i),2(b)(xi) व 3(1) उ०प्र० गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, थाना कोतवाली, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है तथा शपथकर्ता अमरेन्द्र सिंह द्वारा शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के अनुसार यह कहा गया है कि गिरोह सरगना आर्थक प्रताप सिंह पुत्र आदित्य सिंह निवासी म0नं0–172 बरही कोठी थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर का एक संगठित गिरोह है। उक्त गिरोह के 1. महेश चौधरी उर्फ महेश कुमार कन्नौजिया पुत्र स्व० सीताराम निवासी मकान नं0 106 धोबी टोला बनकटी चक मोहल्ला जगरनाथपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर 2. सैफ अली पुत्र सय्यद अली निवासी जटेपुर उत्तरी मनसावाग कालोनी निकट छिनपोखरी थाना गोरखनाथ गोरखपुर 3. आलोक कुमार सिंह उर्फ विपिन सिंह पुत्र अमरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सुकर्ड परसिया थाना सुरौली जनपद देवरिया हाल निवासी म0न0–504 अम्बेडकरनगर भिकमपुर रोड थाना कोतवाली जनपद देवरिया सदस्य हैं। गिरोह सरगना द्वारा गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित अपराधिक गिरोह बनाकर जनपद स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा आपराधिक कुकृत्य करते हुए एक सोची समझी साजिश के तहत सामूहिक रूप से मारपीट, हत्या का प्रयास कर अपने भौतिक आर्थिक व दुनियाभी साथ पास करने हेतु अपराध कारित करते है तथा आमजनमानस को विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने में विघ्न डालते है। यह गिरोह जनपद गोरखपुर में सक्रिय रहकर समाज विरोधी कियाकलाप में सलिप्त रहते हुए लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर जनता में दहशत व आतंक फैलाने का काम करते है तथा उक्त गैंग अपराध से अर्जित धन से स्वंय एवं गिरोह तथा परिजनों के नाम से चल अचल सम्पत्ति कय करते है। इस गिरोह द्वारा अपने सहअभियक्त के साथ मिलकर वादिनी श्रीमती सध्या यादव के घर पर चढ़ कर जान से मारने के नियत से फायर कर देना तथा घर में घुसकर वादिनी को मारना पीटना गाली गलौज व जान मन की धमकी दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में दिनांक–21.02.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 032/2026 धारा 191(2),191(3), 115(2),352,351(3),109(1),333 बी0एन0एस0 विरूद्ध अभियुक्तगण 1. आर्थक प्रताप सिंह व अन्य के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त का न तो कोई गिरोह है न ही आवेदक/अभियुक्त किसी गिरोह का सरगना है। आवेदक/अभियुक्त न तो आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अपराध करता है और न ही आवेदक/अभियुक्त का समाज में कोई भय व्याप्त है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दिखाए गए गैंग चार्ट में मु0अ0सं0 352/2025 धारा 191(2),115(2),109(1),352,351(3),3(5)

बी0एन0एस0 थाना एम्स जिला गोरखपुर दिखाया गया है, उसमें आवेदक/अभियुक्त की जमानत स्वीकृत हो चुकी है। उपरोक्त मुकदों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के ऊपर गैंगेस्टर नहीं लगाया जा सकता है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 21.05.2026 से जिला कारोगार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में न तो लम्बित है, न ही दाखिल हुआ है और न ही निरस्त हुआ है। उक्त कथनों का उल्लेख करते हुए जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त/आवेदक का एक सक्रिय संगठित गैंग है तथा अभियुक्त अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत सामूहिक रूप से मारपीट, हत्या का प्रयास करने जैसे गंभीर अपराध कारित करते हैं। उक्त गिरोह के कार्यों से सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने के साथ जनता में भय का माहौल पैदा कर सामाजिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। समाज में आये दिन इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे है, इनको रोकना अति–आवश्यक है, जिससे समाज की दशा व दिशा एक उन्नत पथ पर अग्रसर हो। इस प्रकार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है, जो अभियुक्त के आपराधिक प्रवृत्ति व चरित्र को दर्शाता है।

आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी के विद्वतापूर्ण तर्को की विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त के विरुद्ध अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत सामूहिक रूप से मारपीट, हत्या का प्रयास करने जैसे जघन्य अपराध करने का आरोप है। यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त का समाज में भय व आतंक व्याप्त है। जैसा कि उक्त संदर्भित अधिनियम की धारा–19(4)(बी) के संदर्भ में इस स्तर पर यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत अपराध कारित नहीं किया गया है तथा न ही पत्रावली पर इस आशय का कोई साक्ष्य उपलब्ध है जिसके आधार पर यह उपधारित किया जा सके कि वह भविष्य में कोई अपराध कारित नहीं करेगा तथा सहअभियुक्तगण आर्थक प्रताप सिंह व महेश चौधरी उर्फ महेश कुमार कन्नौजिया की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। अभियुक्त आलोक कुमार सिहं उर्फ विपिन सिंह का 05 मुकदमों का आपराधिक इतिहास वर्णित है। आलोक कुमार सिहं उर्फ विपिन सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। आवेदक द्वारा कारित अपराध, अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि व उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों पर विचार करते हुए एवं गुण–दोष पर विचार किये बिना उसे जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त आलोक कुमार सिहं उर्फ विपिन सिंह की ओर से मु०अ०सं०–96/2026, धारा–2 (b)(i), 2(b)(xi) व 3(1), उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, थाना कोतवाली, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(चन्द्र मणि मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)
कोर्ट सं०–02 गोरखपुर।
I.D.No. : UP6250

Digitally signed by CHANDRA MANI MISHRA
Date: 2026.06.08 16:53:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court